102/2024 IV

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP80660057037138W

e-Stamp

ACC Name- SANGAM & Sig...
ACC Add- District Court, Sadar, Prayagraj
ACC Code- UP14431004
Licence No. 941, Mob-9696186012

Certificate No.	:	IN-UP80660057037138W
Certificate Issued Date	:	28-Feb-2024 04:36 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14431004/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14431004575391629681 99W
Purchased by	:	Citizen Infraventures Pvt Ltd
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	Citizen Infraventures Pvt Ltd
Second Party	:	Citizen Housing And Developing Cooperative Soc Ltd
Stamp Duty Paid By	:	Citizen Infraventures Pvt Ltd
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,100 (One Thousand One Hundred only)

Please write or type below this line

RD 0013511911

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

दफ्तर सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम-प्रयागराज

★ उत्तर प्रदेश ★

सामान्य अनुबन्ध

Consortium Memorandum of Understanding Beetween Group Companies/Firms (MoU)

इस MoUका निष्पादन प्रयागराज शहर में आज दिनांक 12.03.2024 को निम्न पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया है।

BETWEEN

1. सिटीजन इन्फ्रावेन्चर प्रा0लि0 **CIN No U70102UP2014PTC067085** कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजिकृत है द्वारा डायेरक्टर श्री अनुभव वर्मा पुत्र श्री निशीथ वर्मा पंजीकृत कार्यालय 1,एम.जी. मार्ग सिविल लाइन्स, प्रयागराज (जिसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि प्रबन्धक, निष्पादन, मनोनित और कार्यवाहक भी सम्मिलित होगे) जिन्हे इस विलेख में प्रथमपक्ष से सम्बोधित किया गया है।

आधार कार्ड सं0 388615579394
पैन कार्ड सं0 AAFCC8707J
मो0 9307502104

..........प्रथम पक्ष

सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम-प्रयागराज
★ उत्तर प्रदेश ★

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम प्रयागराज क्रम संख्या 2024018006554

आवेदन संख्या : 202400890005021

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2024-03-12 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम अनुभव वर्मा

लेख का प्रकार अनुबंध विलेख/घोषणा पत्र

प्रतिफल की धनराशि 0 / 0.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 100

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 80

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 180

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2024-03-12 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-03-12 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम प्रयागराज क्रम 2024018006554

आवेदन संख्या : 202400890005021

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2024-03-12 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम अनुभव वर्मा

लेख का प्रकार अनुबंध विलेख/घोषणा पत्र

प्रतिफल की धनराशि 0 / 0.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 100

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 80

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 180

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2024-03-12 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-03-12 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग 1

भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से लगाया जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम प्रयागराज क्रम संख्या 2024018006554

आवेदन संख्या : 202400890005021

अधिनियम 16 1908 की धारा 52 के अधीन रसीद

प्रस्तुतकर्ता या प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थी का नाम

अनुभव वर्मा

निष्पादक का नाम अनुभव वर्मा

लेख का प्रकार अनुबंध विलेख/घोषणा पत्र

प्रतिफल की धनराशि 0

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2024-03-12 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि

या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-03-12 00:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

2. सिटीजन हाउसिंग एवं डेवलपिंग सहकारी आवास समिति लि0 पंजिकृत सं0 3163/2003 द्वारा सचिव श्री निशीथ वर्मा पुत्र स्व0 आर0एन0वर्मा, पंजीकृत कार्यालय 1,एम.जी. मार्ग सिविल लाइन्स, प्रयागराज (जिसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि प्रबन्धक, निष्पादन, मनोनित और कार्यवाहक भी सम्मिलित होगे) जिन्हे इस विलेख में प्रथमपक्ष से सम्बोधित किया गया है।

आधारकार्ड सं0 722595166587
पैन कार्ड सं0 AABAC2680A
मो0 9335155202

............द्वितीय पक्ष

3. अभ्यान बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड **CIN No U45202UP1989PTC010507** द्वारा निदेशक श्री अनुभव वर्मा पुत्र श्री निशीथ वर्मा पंजीकृत कार्यालय 14, इब्राहिमपुर, नेचर विला, निकट इण्डियन ऑयल डिपो, त्रिवेणीपुरम, झूंसी, प्रयागराज (जिसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि प्रबन्धक, निष्पादन, मनोनित और कार्यवाहक भी सम्मिलित होगे) जिन्हे इस विलेख में प्रथमपक्ष से सम्बोधित किया गया है।

आधार कार्ड सं0 388615579394
पैन कार्ड सं0 AAGCS9845J
मो0 9307502104

............तृतीय पक्ष

4. फेयर वैल्यू होम्स प्राइवेट लिमिटेड **CIN No U70102UP2016PTC077080** द्वारा निदेशक श्री अनुभव वर्मा पुत्र श्री निशीथ वर्मा पंजीकृत कार्यालय 1,एम.जी. मार्ग सिविल लाइन्स, प्रयागराज (जिसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि प्रबन्धक, निष्पादन, मनोनित और कार्यवाहक भी सम्मिलित होगे) जिन्हे इस विलेख में प्रथमपक्ष से सम्बोधित किया गया है।

आधार कार्ड सं0 388615579394
पैन कार्ड सं0 AACCF7758F
मो0 9307502104

............चतुर्थ पक्ष

आवेदन सं०: 202400890005021

अनुबंध विलेख/घोषणा पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 102 वर्ष: 2024

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री सिटिजन इन्फ्रावेंचर प्रा०लि० द्वारा
अनुभव वर्मा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री निशीथ वर्मा
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 1 एम् जी मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज

अनुभव वर्मा अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

श्री. सिटिजन इन्फ्रावेंचर प्रा०लि० द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 12/03/2024 एवं
12:39:46 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार प्रभारी
उप निबंधक :सदर प्रथम
प्रयागराज
12/03/2024

संतोष कुमार नियमित
निबंधक लिपिक
12/03/2024

उप्तर सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम-प्रयागराज
★ उत्तर प्रदेश ★

5. सिटीजन शुभालय इन्फ्राबिल्ड एल0एल0पी0 पंजीकरण सं0 AAL-6775 द्वारा डेसिग्नेटेड पार्टनर श्री निशीथ वर्मा पुत्र स्व0 आर.एन.वर्मा पंजीकृत कार्यालय 1,एम.जी. मार्ग सिविल लाइन्स, प्रयागराज (जिसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि प्रबन्धक, निष्पादन, मनोनित और कार्यवाहक भी सम्मिलित होगे) जिन्हे इस विलेख में प्रथमपक्ष से सम्बोधित किया गया है।

आधार कार्ड सं0 722595166587
पैन कार्ड सं0 AANFC1099E
मो0 9335155202
............पंचम पक्ष

(जो कि प्रथम पक्ष, द्वितीय, तृतीय पक्ष, चर्तुथ पक्ष व पंचम पक्ष को आगे संयुक्त रूप से इस विलेख में आगे पक्षकारगण से सम्बोधित किया गया है जिसमे उनके विधिक वारिस, पदाधिकारी, प्रतिनिधि, नामित व्यक्ति भी सम्मिलित माने व समझे जायेंगे।)

जो कि इस MoU का निष्पादन ग्रुप कम्पनी/समिति/फर्म जो कि सिटीजन हाउसिंग के तत्वधान में रियल स्टेट क्षेत्र में कार्यरत है के बीच आपसी सामजस्य से परियोजनाओं का कियावन एकल रूप से अथवा सामूहिक रूप से अथवा दो या दो से अधिक पक्षों द्वारा आपस में मिलकर कार्य करने की रूप-रेखा, कार्य-प्रणाली व शर्ते तथा नियम को नियन्त्रित किये जाने के लिए इस विलेख का निष्पादन किया जा रहा है जिसके अधीन पक्षकारगण की घोषण एवं साझा उद्देश्य, अस्वीकरण (disclaimer) एवं साझेदारी से कार्य करने तथा पक्षकारगण के फायदे के साथ-साथ आवंटियों एवं सदस्यों के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य की घोषणा करते हुए इस विलेख का निष्पादन किया जा रहा है।

जो कि यह MoU विशेष तौर पर सिटीजन हाउसिंग के बैनर के साथ रियल स्टेट डेवलपमेंट एवं निर्माण करने वाली Group Companies/Firms की संयुक्त उदघोषणा हेतु निष्पादित किया गया है।

जो कि इस विलेख के माध्यम से कार्य करने वाले समूह का नाम समग्र रूप से 'सिटीजन हाउसिंग' होगा एवं अंग्रेजी में 'CITIZEN HOUSING' होगा जिसका अपना पंजीकृत Logo है जो ट्रेड मार्क अधिनियम के तहत पंजीकृत है जिसका पंजीकरण सं0 अर्थात व्यापार चिन्ह सं0 3314157 दिनांक 20.07.2016 है एवं जिसका J. नं0 2061 जो अधिनियम के श्रेणी 37 के तहत व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री में पंजिकृत है जिसका प्रमाणपत्र बतौर अनुसूचि-अ इस विलेख के साथ संलग्न है।

आवेदन सं०: 2024008 90005021

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 102 | वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री सिटिजन इन्फ्रावेंचर प्रा०लि० के द्वारा अनुभव वर्मा , पुत्र श्री निशीथ वर्मा

निवासी: 1 एम् जी मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 2

श्री सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवेलपिंग सहकारी आवास समिति लि० के द्वारा निशीथ वर्मा , पुत्र श्री स्व० आर एन वर्मा

निवासी: 1 एम् जी मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 3

श्री आशय बिल्डकान प्रा०लि० के द्वारा अनुभव वर्मा , पुत्र श्री निशीथ वर्मा

निवासी: 1 एम् जी मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 4

श्री [illegible] होम्स प्रा०लि० के द्वारा अनुभव वर्मा , पुत्र श्री निशीथ वर्मा

निवासी: 1 एम् जी मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 5

श्री [illegible] शुभालय इन्फ्राबिल्ड एल एल पी के द्वारा निशीथ वर्मा , पुत्र श्री स्व० आर एन वर्मा

निवासी: 1 एम् जी मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

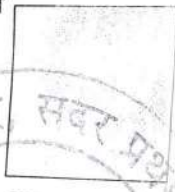

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

सदर ... उत्तर प्रदेश

जो कि पक्षकारणगण सिटीजन हाउसिंग के तत्वधान में कार्य करेगें तथा आपसी सामजस्य एवं सहमती से रियल स्टेट सेक्टर में यथा प्लाटेड डेवलपमेन्ट के साथ साथ समूह आवास योजना एवं Row Housing, एकल आवास इत्यादि का निर्माण एवं व्यवसायिक भवनों का निर्माण यथा रेस्टोरेन्ट, हाईपर मार्केट, व्यवसायिक दुकानें, नर्सिंग होम, विद्यालय इत्यादि के निर्माण कार्य के लिये आपस मे सहमति रखते हुए कार्य करेगें तथा वर्तमान में जिस उद्देश्य के लिए इस विलेख का निष्पादन किया जा रहा आगे भी इसी प्रकार से व्यवसायिक कार्य जो संस्थाओं के मेमोरेण्डम अथवा बाइलाज के अधीन होगा करने के बिन्दु पर रजामन्द एवं सहमत है जिसको दृष्टिगत रखते हुये इस दस्तावेज का निष्पादन करते हुये पंजीकृत करवा रहे है।

जो कि पक्षकारगण के दायित्वो, अधिकारो, हितो, हिस्सेदारी इत्यादि का पूरा विवरण इस विलेख में आगे उल्लेखित है।

जो कि पक्षकारगण द्वारा इस दस्तावेज के माध्यम से स्थापित किये जा रहे MoU जो कि सहायता संघ के रूप में कार्य करेगी का संचालन सिटीजन हाउसिंग समूह/सिटीजन हाउसिंग ग्रुप के नाम से संचालित होगा जिसका पंजीकृत कार्यालय का पता :- 1/ए, एम0जी0मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज है।

<u>इस MoU में पक्षकारगण की हिस्सेदारी, कियान्वन से सम्बन्धित दायित्व तथा अन्य नियम व शर्तें इत्यादि निम्नानुसार होगी :-</u>

1. **प्रबन्धक सदस्यः**

1.1 जो कि इस विलेख के प्रथम पक्ष को पक्षकारगण द्वारा आपसी सहमति से प्रबन्धक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा रहा है जिन्हे आगे प्रबन्धक सदस्य से सम्बोधित किया जायेगा।

1.2 जो कि प्रबन्धक सदस्य कन्सोर्टियम की बोर्ड मिटिंग में लिये गये निर्णय के कम में अपने दायित्वों का निवर्हन करेगें।

1.3 जो कि इस विलेख के पक्षकारगण जिसके अधीन कम्पनी एवं फर्म (समिति) सम्मलित है के स्तर से अपने-अपने मैमोरेण्डम/बाइलाज के कम में सस्थांओं की बोर्ड/कार्यकारणी बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए इस समूह का गठन हुआ है एवं विलेख का निष्पादन किया गया है तथा प्रबंधक सदस्य की नियुक्ति की गयी है उक्त पारित प्रस्ताव इस विलेख का अभिन्न अंग होगा।

श्री अजय कुमार पाल , पुत्र श्री शिवराम पाल

निवासी: ग्राम जगदीशपुर पुरे चन्दा, पो० थरवई पंडिला प्रयागराज

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 1

श्री चन्द्र प्रकाश कुशवाहा , पुत्र श्री स्व देवतादीन

निवासी: [illegible]74ए अल्लापुर प्रयागराज

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट: [illegible] तःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

संतोष कुमार प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
प्रयागराज
12/03/2024

संतोष कुमार नियमित
निबंधक लिपिक प्रयागराज
12/03/2024

2. <u>विलेख का उद्देश्य एवं क्षेत्रः-</u>

2.1 जो कि इस विलेख का उद्देश्य निर्माण कार्य इत्यादि को विलेख में उल्लेखित शर्तो के अधीन व्यासयिक कार्य करने से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत समूह आवास परियोजना एवं प्लाट्टेड डेवलपमेन्ट, Row Housing , एकल आवास इत्यादि के निर्माण कार्य के साथ-साथ जैसा की ऊपर उल्लेखित है विभिन्न प्रयोजनों के निर्माण कार्य का क्रियान्वन किया जाना है।

2.2 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य और इस MoU के अन्य सदस्यगण संयुक्त रूप से किसी भी योजना को संचालित करने और निरन्तरता बनाए रखने के लिए वित्त निर्माण व अन्य निर्माण से जुड़ी कार्यवाहीयों को अंन्जाम देने के साथ-साथ भूमि जुटवा की प्रक्रिया में अपना योगदान जैसा की आपस में सहमती बने देगें।

2.3 जो **कि** इस विलेख के प्रबन्धक सदस्य और अन्य सहयोगी पक्षगण द्वारा विकसित संपत्तियों का विक्रय अपने-अपने स्वामित्व के अनुपात में किया जायेगा एवं विक्रय मूल्य का बँटवारा पक्षकारगण द्वारा आपसी सहमति से अपने हिस्सेदारी के अनुपात में कर लिया जायेगा।

2.4 जो कि सभी पक्षकारगण इस बिन्दु पर भी सहमत है कि इस विलेख का कोई पक्षकार किसी तीसरे पक्षकार के साथ मिलकर किसी परियोजना को बिल्डर एग्रीमेंट, डेवल्पर एग्रीमेंट, पार्टनरशिप विलेख, एल.एल.पी के माध्यम से तनहा रूप से अथवा किसी अन्य पक्ष के साथ मिलकर दस्तावेज का निष्पादन करते हुए परियोजना को विकसित किया जा सकता है जिस पर इस विलेख की कोई भी पाबंदी प्राभावी नही रहेगी अर्थात उक्त दस्तावेज जो तीसरे पक्षकार के साथ मिलकर निष्पादित करते हुए किसी भी प्रकार की परियोजना का क्रियावन किये जाने की दशा में उक्त दस्तावेज की वरियता रहेगी तथा इस सीमा तक इस बिन्दु पर इस दस्तावेज को शिथिल माना व समक्षा जायेगा जिस पर सभी पक्षकारगण आपस में रजामंद है तथा इस बिन्दु पर भी सहमती रखते है की इस विलेख या दो से अधिक पक्षकारगण आपस में मिलकर अथवा किसी तीसरे पक्षकारगण के साथ मिलकर किसी परियोजना विशेष का क्रियावन कर सकते है।

2.5 जो कि इस दस्तवेज के कोई भी पक्षकारगण स्वतंत्र रूप से अपने स्तर से एवं विवेकानुसार अपना व्यवसाय संचालित कर सकते है जिसपर इस विलेख की कोई भी पाबंदी नही रहेगी।

2.6 जो कि यह विलेख समूह के सदस्यों की मध्य संबल के रूप में अवधारणीत है सदस्यों को Best Busnisess Practices के लिए प्रेरित करता है यह विलेख किसी भी दशा में निरोधकारी नही होगा।

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

3. **प्रबंधन संरचना और सदस्यों के नियमः–**

3.1 जो कि सभी पक्षकारगण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की उपविधि में परिभाषित विकासकर्ता के परिभाषा के अनुसार एक प्राइवेट डेवलपर है। निर्माण से सम्बन्धित जिस किसी भी योजना को अंन्जाम देने की सहमति पक्षकारगणों के मध्य बनेगी उस योजना को विकसित करने का पूरा दायित्व क्रियावन से सम्बन्धित निर्धारित करते हुए किसी भी पक्षकार को लीड मेम्बर बनाया जा सकता है।

3.2 जो कि यहां पर यह भी स्पष्ट करना है कि लीड मेम्बर के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण कन्सोर्टियम की बोड बैठक में समय–समय पर लिये जाने वाले प्रस्तावों के अधीन होगा।

4. **वित्तपोषण, पारिश्रमिक और व्यय साझा करने का आधार :–**

4.1 जो कि इस विलेख के माध्यम से जिस किसी भी योजना का क्रियान्वन करने की सहमति पक्षकारगणों के मध्य बनेगी उसमें लगने वाले सभी व्यय, निर्माण मूल्य, अन्य लागत इत्यादि को पक्षकारगण की आपसी सहमती के साथ–साथ आर्थीक क्षमता एवं परियोजना में स्वामित्व के आधार पर निर्धारित होगा तथा इसी अनुपात में लाभाशं एवं लाभ–हानि का प्रतिशत निर्धारित होगा।

4.2 जो कि इस विलेख के पक्षकारगण द्वारा आपसी सहमती से आपस में विचार विमर्श के बाद आपसी लिखित सहमति के बाद यदि आवश्यक हुआ तो अपने स्वामित्व की सम्पत्ति को नियमानुसार एक दूसरे के प्रयोजन हेतु बन्धक रखकर, जमा करके वित्तीय संस्थान/बैकों से ऋण उठाएंगे।

4.3 जो कि इस विलेख के अर्न्तगत जिस किसी भी योजना को अंन्जाम दिया जायेगा योजना के क्रियान्वन के सम्बन्ध में एक या एक से अधिक बैंक खातो का उपरोक्त उद्देश्य के लिए खोला जा सकेगा जिसका संचालन आपसी सहमती से MoU के बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के अधीन प्रबन्धक सदस्य द्वारा किया जायेगा अथवा पक्षकारगण की आपसी सहमति से किसी अन्य नामित/अधिकृत व्यक्ति द्वारा पक्षकारगण की ओर से खाते का संचालन करेगा।

4.4 जो कि प्रबन्धक सदस्य अथवा अन्य नामित/अधिकृत सदस्य बैंक गारन्टी, सी0सी0/ओ0डी0 इत्यादि से सम्बन्धित समस्त प्रकार की लेन–देन से सम्बन्धित दस्तावेजों, कागजातों, डीड इत्यादि का निष्पादन अपने एकल हस्ताक्षर से करने के लिए अधिकृत होगा इसके साथ–साथ

दफ्तर सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम-प्रयागराज
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

बैंक से ऋण लेने, परियोजना अनुमोदित करवाने से सम्बन्धित समस्त प्रकार की कार्यवाही करने का दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये इस विलेख के अधीन अधिकृत होंगे।

4.5 जो कि उपरोक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक सदस्य इस विलेख के अधीन नियोजन के सरप्लस फन्ड को S.T.D.R., F.D.R. इत्यादि के माध्यम से निवेश करने के लिए अपने एकल हस्ताक्षर से अधिकृत होगा।

4.6 जो कि पक्षकारगण द्वारा आपस में एक दुसरे के खाते में धनराशि का अन्तरण कर सकते है, आपस में आश्यकतानुसार सम्पत्ति को बंधक रखते हुए ऋण प्राप्त कर सकते है एक दूसरे के हक में आपेक्षानुसार भूमि का अंतरण/समायोजन भी कर सकते है।

4.7 जो कि पक्षकारगण द्वारा एक–दूसरे की तरफ से किसी भी परियोजना के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते है, दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है, दावा/प्रतिदावा प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी मुकदमें आदि में पैरवी की जा सकती है, रेरा एवं विकास प्राधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किये गये उक्त सभी कार्य इस MoU के अधीन मान्य एवं वैध होगें।

4.8 <u>जो कि कि इस MoU के कम में निष्पादित होने वाली किसी भी परियोजना में</u> पक्षकारगणके लाभ–हानि का प्रतिशत निम्न अनुपात में होगा जो निम्नानुसार है :–

1. सिटीजन इन्फ्रावेंचर प्रा0लि0 = 60 प्रतिशत
2. अभ्यान बिल्डकॉन प्रा0लि0 = 30 प्रतिशत
3. सिटीजन हाउसिंग एवं डेवलपिंग कोआपिरेटिव सोसाइटी लिमिटेड = 5 प्रतिशत
4. फेयर वैल्यू होम्स प्रा0लि0 = 5 प्रतिशत
5. सिटीजन शुभालय इन्फ्राबिल्ड एल0एल0पी0 = उद्यम इक्विटी (Sweat equity)

उपरोक्तानुसार सभी पक्षकारगण की आम सहमति एवं रजा मंन्दी है और इसी अनुपात में पक्षकारगण द्वारा अपनी लाभ–हानि व अन्य दायित्वों का वहन किया जायेगा।

5. <u>सामान्य नियम और शर्तेः–</u>

5.1 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य को पक्षकारगण द्वारा संचालित की जाने वाली किसी भी परियोजना के कारोबार का निर्देशन एवं देखभाल करने का अधिकार होगा।

5.2 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य किसी भी कर्मचारियो की नियुक्ति, पद मुक्ति एवं पदोन्नति कर सकेगा।

सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम-प्रयागराज

सत्यमेव जयते

★ उत्तर प्रदेश ★

5.3 जो कि इस MoU का लेखा-जोखा तैयार करने के लिए वितीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जायेगा समस्त व्ययो का/देनदारियो का भुगतान करने के बाद पक्षकारगण के मध्य उनके अंश के अनुरूप आपसी आम सहमति के आधार पर लाभ-हानि एवं अन्य देनदारियों को साझा किया जायेगा।

5.4 जो कि इस MoU की अलग बुक्स ऑफ एकाउण्टस नही बनेगी बल्की पक्षकार अपनी बुक्स में इस MoU के तहत Group Companies/Firms से प्राप्तीयों का समायोजन करेगें। इस प्रस्तर में आवश्यकतानुसार आपेक्षित संशोधन सी.ए. के सुझाव के अनुसार अनुमन्य होगा।

5.5 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य को उनके द्वारा किये जा रहे उपरोक्तानुसार अतिरिक्त कार्यो के लिए समय-समय पर प्रोत्साहन धनराशि के रूप मे अदायगी पक्षकारगण की आपसी सहमति से निर्धारित किया जायेगा जिसे पाने का अधिकार प्रबन्धक सदस्य को रहेगा।

5.6 जो कि इस विलेख को पक्षकारगण द्वारा आपसी से अपरोक्तानुसार उल्लेखित अपने-अपने दायित्व, उत्तरदायित्वों के अधीन कर्तव्य का निर्धारण करते हुए, यदि आवश्यक हुआ तो किसी भी समय इस विलेख को विखण्डित करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

5.7 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य किसी भी प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में यदि आपेक्षित हुआ तो न्यायालय में वाद योजित कर सकेगा किसी अधिवक्ता/मुख्तारेआम/अभिकर्ता या प्रबन्धक की नियुक्ति या पद मुक्ति कर सकेगा।

5.8 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य को इस विलेख के माध्यम से अधिकृत किया जाता है कि वे इस विलेख के अधीन प्रस्तावित किसी भी योजना का प्रयागराज विकास प्राधिकरण, रेरा अर्थारिटी एवं अन्य किसी शासकीय संस्थान व प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधत्व करने के साथ-साथ इन्कम टैक्स, जी0एस0टी0 विभाग में प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिकृत होने के साथ-साथ नोटिस प्राप्त करना उसका निस्तारण करवाना, जवाब लगाना व पैरवी करने के लिये भी इस विलेख के अधीन सक्षम माना जायेगा। विकास प्राधिकरण, रेरा, बिजली विभाग, नगर निगम अन्य संस्थानों के समक्ष पंजीकरण, शुल्क एवं अन्य किसी भी चार्जेस को जमा करें, नोटिस प्राप्त करें जबाव दें एवं किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसका जबाव दें, निदान करें इसके अतिरिक्त वें अन्य सभी कार्यवाहियों को जो परियोजना के कियान्वयन के लिये आवश्यक है जिसमें आर्किटेक्ट/इंजीनियर से सम्पर्क करना, नक्शा बनवाना, विकास कार्य इत्यादि करने के लिए अधिकृत होगा।

सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम-प्रयागराज
सत्यमेव जयते
★ उत्तर प्रदेश ★

6. **अप्रत्याशित घटनाः** जो कि इस विलेख के तहत किसी भी पक्षकारगण को किसी अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियों में दायित्वों, उत्तरदायित्व के अधीन नही समझा जायेगा जिसके अर्न्तगत निम्न परिस्थितियाँ है प्रकृति अपदा, युद्ध की स्थिति में, समाजिक दंगे, किसी निमार्ण सामग्री की आपूर्ति में बाधा, सरकारी नियंन्त्रण आदि के कारण किसी भी योजना के कियान्वयन में असमर्थ हो जाना सम्मलित है।

   6.1 जो कि किसी भी कारण से इस MoU के किसी भी पक्ष द्वारा इस्तीफा दिये जाने पर अथवा कार्यकारी सदस्य की आकास्मिक मृत्यु होने की दशा मे अथवा किसी पक्षकार के दीवालिया हो जाने की दशा में प्रबन्धक सदस्य के नियन्त्रण में सम्बन्धित सदस्य फर्म/कम्पनी का समस्त कार्य आ जायेगा एवं समस्त अधिकार प्रबन्धक सदस्य निहित हो जायेगें जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक निरन्तरता को बनाये रखना तथा ऐसी स्थिती में प्रबन्धक सदस्य के निर्देशों के अधीन सम्बन्धित पक्षकार जो अपनी दायित्वों के निर्वाहन में उपरोक्तानुसार जैसा की उल्लेखित है असक्षम हुआ है का समस्त प्राशासनिक कार्यों के साथ-साथ उनके सारे कार्यालय के कार्य, सम्पदा, जिम्मेदारियों पर प्रबन्धक सदस्य का नियन्त्रण भी स्थापित हो जायेगा।

7. **विवादों का निपटाराः** जो कि इस विलेख के पक्षकारगण आपसी सहमति से ऊपर उल्लेखित नियम व शर्तो के अधीन विवादों को सुलझाने के लिए सहमति रखते है परन्तु किसी कारणवश यदि कोई भी विवाद का निपटारा करने में असफल रहते है तो प्रकरण को मध्यस्थ के लिए सन्दर्भित कर दिया जायेगा जिसका फैसला पक्षकारगण पर बाध्यकारी होगा।

8. **सशोंधन इत्यादिः-** जो कि इस विलेख के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन या बदलाव, सभी पक्षकारगणों पर बाध्यकारी नही होगा जब तक कि उसको लिखित रूप से परिवर्तित न कर दिया गया हो और उनके द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो। इस सम्बन्ध में किसी भी संशोधन को पूरक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करते हुये हस्ताक्षरित किया जायेगा जो पक्षकारगण के बीच निष्पादित इस MoU का अभिन्न एवं आवश्यक अंग माना व समझा जायेगा। अन्य दस्तावेज को इस विलेख का हिस्सा और खण्ड माना जाएगा।

कार्यालय सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम-प्रयागराज
★ उत्तर प्रदेश ★

9. **<u>गोपनीयताः–</u>** जो कि पक्षकारगण द्वारा इस विलेख के नियम व समझौते की शर्तों को किसी भी तीसरे पक्ष के साथ व्यवसायित गोपनीयता के पृष्ठभूमि में खुलासा करने के लिये अधिकृत नही रहेंगे जब तक ऐसी कोई आम सहमति सभी पक्षकारगण के मध्य नही बन जाती हैं। पक्षकारगण के मध्य आहरित सभी दस्तावेजों और सूचनाओं को गोपनीय माना जाएगा परन्तु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस प्रकार का प्रतिबन्ध प्रभावी नही रहेगा।

10. **<u>नोटिसः–</u>** जो कि इस विलेख के अधीन आवश्यक कोई भी नोटिस लिखित रूप में दी जायेगी और इस विलेख में उल्लेखित पते पर स्वीकृति के साथ–साथ हाथों हाथ दिया जाएगा अथवा सदस्य को पंजिकृत डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।

11. **<u>संशोधन/सुधारः–</u>** जो कि इस विलेख के नियम और शर्तो को संशोधित/सुधार किया जा सकता है, जैसा कि उत्त्र प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा। जिस पर पक्षकारगण की पारस्परिक सहमति मानी जायेगी।

12. **<u>उद्घोषणाः–</u>**

जो कि इस सामान्य अनुबन्ध में शामिल प्रत्येक पक्ष के किसी स्वामित्व का स्थानांतरण आपस में नही किया जा रहा है अर्थात प्रत्येक पक्ष अपने समस्त स्वामित्व को पूर्वतः अपने पास धारण किये रहेंगे।

13. **<u>विलेख का समापनः–</u>** जो कि इस विलेख को पक्षकारगण की आपासी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।

स्टाम्प की देयता

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची 1–बी के तहत निर्धारित रू0 1100/– का स्टाम्प अदा किया जा रहा है जिसका ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0 IN-UP80660057037138W एवं कमांक सं0 0013511911 है।

उत्तर सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम-प्रयागराज
★ उत्तर प्रदेश ★

प्रारूप आरजी - 2
Form RG - 2

सत्यमेव जयते

INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
Patents | Designs | Trademarks
Geographical Indications

भारत सरकार
Government of India
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999
Trade Marks Act, 1999

क्रमांक
No. 3125395

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2), नियम 56 (1)
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 56 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या / **Trade Mark No.** 3314157 दिनांक /**Date** 20/07/2016 ज. संख्या /**J. No.** 2061

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की समाकृति इसके साथ संलग्न है, वह ....
के बारे में दिनांक ....नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है|
Certified that Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of :-
CITIZEN INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED, A/1, M.G.Marg, Civil Lines, Allahabad-211001,Uttar Pradesh, Service Provider, (Body Incorporate)

In Class 37 Under No. 3314157 as of the date 20 July 2016 in respect of

construction services, as included in class 37.

Trade Mark as annexed

मेरे निर्देश पर आज .... के .... मास के .... वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई
Sealed at my direction, this 02nd day of December , 2022

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry MUMBAI

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार
Registrar of Trademarks

रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से १० वर्ष के लिए है और तदोपरांत वह १० वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक १० वर्ष की कालावधि के अवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकेगा।
Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.
यह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए नहीं है
This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining Registration abroad.
टिप्पणी - इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या कारोबार के मुख्य स्थान के पते में या भारत में तामील के लिए पते में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिए आवेदन तुरंत किया जाना चाहिए.
Note: Upon any change of ownership of this Trademark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should **AT ONCE** be made to register the change.

प्रथम-प्रयागराज
★ उत्तर प्रदेश ★

Trade Mark No. **3314157**

Annexure of Certificate No.: **3125395**
Date **20/07/2016**

CITIZEN
HOUSING

सदर प्रथम-प्रयागराज

★ उत्तर प्रदेश ★

IN WITNESS THEREOF पक्षकारगण द्वारा इस विलेख का निष्पादन करते हुए अपना-अपना हस्ताक्षर आज दिनांक 12.03.2024 को निम्न साक्षियों के समक्ष कर दिया गया है कि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

प्रथम पक्ष सिटीजन इन्फ्रावेन्चर प्रा0लि0 **CIN No U70102UP2014PTC067085** कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत कम्पनी है द्वारा डायेक्टर श्री अनुभव वर्मा पुत्र श्री निशीथ वर्मा पंजीकृत कार्यालय 1,एम.जी. मार्ग सिविल लाइन्स, प्रयागराज। हस्ताक्षर	द्वितीय पक्ष सिटीजन हाउसिंग एवं डेवलपिंग सहकारी आवास समिति लि0 पंजीजन सं0 3163/2003 द्वारा सचिव श्री निशीथ वर्मा पंजिकृत कार्यालय 1,एम.जी. मार्ग सिविल लाइन्स, प्रयागराज। हस्ताक्षर
तृतीय पक्ष अभ्यान बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड**CIN No U45202UP1989PTC010507** द्वारा निदेशक श्री अनुभव वर्मा पुत्र श्री निशीथ वर्मा पंजीकृत कार्यालय 14, इब्राहिमपुर, मजरा कटका, निकट इण्डियन ऑयल डिपो झूंसी, प्रयागराज हस्ताक्षर	चतुर्थ पक्ष फेयर वैल्यू होम्स प्राइवेट लिमिटेड **CIN No U70102UP2016PTC077080** द्वारा निदेशक श्री अनुभव वर्मा पुत्र श्री निशीथ वर्मा पंजीकृत कार्यालय 1,एम.जी. मार्ग सिविल लाइन्स, प्रयागराज हस्ताक्षर
पंचम पक्ष सिटीजन शुभालय इन्फ्राबिल्ड एल0एल0पी0 पंजीकरण सं0 **AAL-6775** द्वारा डेसिग्नेटेड पार्टनर श्री निशीथ वर्मा पुत्र स्व0 आर0एन0 वर्मा पंजीकृत कार्यालय 1,एम.जी. मार्ग सिविल लाइन्स, प्रयागराज हस्ताक्षर	

सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम-प्रयागराज

★ उत्तर प्रदेश ★

गवाह :–

नाम – श्री अजय कुमार पाल
पुत्र– श्री शिव राम पाल
पता ग्राम जगदीशपुर पुरे चन्दा पो0 थरवई पडिला प्रयागराज उ0प्र0 211013
आधार कार्ड नं0 5177 0164 3543
मो0नं0 9936239143

हस्ताक्षर

नाम–
श्री चन्द्र प्रकाश कुशवाहा
पुत्र स्व0 देवतादीन
निवासी 574/74ए
अल्लापुर प्रयागराज।
कोषाध्यक्ष – सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपिंग को–आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
आधार कार्ड नं0 3932 6078 9641
मो0नं0 9307982777

हस्ताक्षर

दिनांक :– 12.03.2024

स्थानः– प्रयागराज।

मसविदाकर्ता– धर्मराज एन.(एडवोकेट)

टाइपकर्ता– अरविन्द कुमार

आवेदन सं०: 202400890005021

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 601 के पृष्ठ 229 से 258 तक क्रमांक 102 पर
दिनाँक 12/03/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
प्रयागराज
12/03/2024

सब रजिस्ट्रार, सदर प्रथम-प्रयागराज
★ उत्तर प्रदेश ★